राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष नं. 0141-2227677 ई-मेल jdagr.atc.agri@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 8(5)/आ.कृ./एटीसी/बजट घोषणा/बैल/2025-26/8888-9100 दिनांक : 28/03/2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.................................

विषयः-मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2025-26 की घोषणा संख्या 129.16.00 " प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जाने" के कियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

(अ) <u>कृषकों के लिए निर्देश :-</u>

1. अनुदान के लिये पात्रता :-

1.1 कृषक के पास एक जोडी (2 बैल) बैल होने चाहिए, जिनका उपयोग कृषि में किया जा रहा हो।

1.2 कृषक लघु/सीमान्त हो, लघु/सीमान्त का प्रमाण पत्र तहसीलदार से प्रमाणित/DILRMP(http:dilrmp.gov.in से डाऊनलोड भूमि का विवरण होना चाहिए।

1.3 बैलों का पशु बीमा होना आवश्यक है। बैलों की उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

1.4 राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में वाछिंत पात्रता रखने पर अनुदान के लिये पात्र होगें।

1.5 राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वनाधिकार पट्टे, जिसमें कृषक की भूमि का स्थान, क्षेत्रफल, अक्षांश व देशान्तर अंकित है, ऐसे भूमि प्रदत्त कृषकों को भी वाछिंत पात्रता रखने पर लाभान्वित किया जा सकेगा ।